

अजमेर
398/11/2018 श्याम लाल (मु) शिव लाल vs ओम प्रकाश

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजमेर शिव लाल श्री श्याम लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.18	<p>अपील संख्या 2010/00022 बउनवानी श्याम लाल (मु)शिव लाल बनाम ओम प्रकाश वगैरह, आदेश दिनांक 01.11.2018</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 20.04.2010 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 13.05.2010 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 20.04.2010 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स की तलबी हेतु नियत हैं। अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट्स की तलबी में समय व्यय होगा एवं अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हैं। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 901 हाल खसरा नम्बर 1184 रकबा 01-02-00 बीघा एवं साबिक खसरा नम्बर 1844 हाल खसरा नम्बर 2128 रखका 01-02-10 बीघा वाकै ग्राम सराधना तहसील पीसागन को रहन,बय व मुत्तकिल नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की बथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निरस्त समझा जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	Sir. फांजा 2491 दि-14-11-18 सुप्रीम L.C का विवाद शरदाया 2128